



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes  
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-809/JH/29/2022-ESDW

दिनांक: 19.07.2024

सेवा में,

श्री नारायण भगत,  
प्रधान सचिव,  
टाना भगत शिष्ट मण्डल प्रतिनिधि कमेटी,  
शास्त्री नगर, डेम साईड,  
गुमला, झारखंड,  
फोन नं. 7667765850

विषय: श्री नाथ मुंडा, ग्राम बुकरू, थाना-कांके, जिला-रांची, झारखंड की खतियान जमीन पर अवैध कब्जा करने के संबंध में श्री नारायण भगत, प्रधान सचिव, टाना भगत शिष्ट मण्डल प्रतिनिधि कमेटी, शास्त्री नगर, डेम साईड, गुमला, झारखंड का दिनांक 13.07.2022 एवं 13.08.2022 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग की माननीया सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) ने आपके मामलें में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 26.07.2024 को अप्राह्न 12:40 बजे आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में बैठक तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से सूचित कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

(एच. आर. मीना)

अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: [researchofficer-esdw@ncst.nic.in](mailto:researchofficer-esdw@ncst.nic.in)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. माननीया सदस्य महोदया (अ.ल.) के निजी सचिव।
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।